षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०, श्री सत्येदव राम, स०वि०स०, श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स०, श्री राहुल तिवारी, स०वि०स०, श्री रवींद्र सिंह, स०वि०स०, श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०, श्री रामदेव राय, स०वि०स०	सोन नहर प्रणाली के लिए इधर सोन नदी में लगातार पानी का अभाव हो रहा है । इस वर्ष भी सोन नहरी इलाके में 40 प्रतिशत सूखा रहा । नहरों के लिए पानी तभी मिल पाता है, जब बाढ़ की स्थिति रहती है । उस पानी को रोककर रखने हेतु वर्ष 1990 में कदवन डैम (इन्द्रपुरी जलाशय) का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था । सोन नहरों का जीवन 140 साल हो जाने के कारण जीर्णशीर्ण नहरें किसानों की सम्पूर्ण सिंचाई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है । अत: सोन नदी में शीघ्रातिशीघ्र इन्द्रपुरी जलाशय का निर्माण करने और नहरों का व्यापक सर्वे कराकर मरम्मतिकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	जल संसाधन

1	2	3	4
2.	**समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०, श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०**	उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले जे.पी. सेतु, गाँधी सेतु और राजेन्द्र सेतु भारी वाहनों के लिए बन्द कर दिये गए हैं । सबसे पहले गाँधी सेतु पर रोक लगाई गई फिर दिनांक-03.12.2019 से राजेन्द्र सेतु तथा दिनांक-03.02.2020 से जे.पी. सेतु पर रोक लगा दी गई । इन तीनों पुलों पर भारी वाहनों के प्रतिबंध से उत्तर बिहार जानेवाली निर्माण एवं खाद्य सामग्रियों पर 125 किलोमीटर अतिरिक्त ढुलाई का भार पड़ेगा जिसके कारण राज्य में महँगाई और बढ़ेगी । रेल विभाग ने मुख्य सचिव को जे.पी. सेतु एवं राजेन्द्र सेतु खोलने हेतु सीसीटीवी कैमरे, दोनों छोर पर हाईट व साईड गेज एवं इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे लगाने की शर्त रखी है । इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे पूरी तरह से कम्प्यूटराईज्ड रहता है और पुल के दोनों छोर से गुजरने के दौरान यह पता चल जाता है कि लोड कितना है । अतः जे.पी. सेतु एवं राजेन्द्र सेतु पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, दोनों छोर पर हाईट व साईड गेज एवं इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे लगाकर दोनों पुलों को चालू करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	परिवहन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/20- 634 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2020 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/20- 634 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2020 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

02/3/2020